न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), झुंझुनूं जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया [illegible]

राजस्व वाद संख्या : 1185 / 2024

गोपीचन्द बनाम राजेन्द्र वगै0

प्रार्थना पत्र वादपत्र खारिज किये जाने बाबत

एडवोकेट प्रार्थी (अनावेदक) :– सुमित कुमार
एडवोकेट अप्रार्थी (आवेदक) :– सतीश सिंह

आदेश

दिनांक 21.07.2025

संक्षेप में प्रार्थना इस आशय से पेश गया है कि :– प्रार्थी मनीराम ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र वाद पत्र खारिज किये जाने बाबत पेश कर कथन किया कि उपरोक्त उनवानी दावे में आज की तारीख पेशी नियत है। वादी द्वारा एक दावा घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरूस्ती, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण में एकमात्र वादी गोपीचन्द की मृत्यु दिनांक 25.11.2024 को हो चुकी है, परन्तु इतना समय व्यतीत हो जाने के बावजूद आज तक ना तो वादी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश किया है और ना ही वादी का कोई वारिस प्रकरण में पैरवी हेतु उपस्थित हुआ है। वादी की मृत्यु को काफी समय व्यतीत हो चुका है तथा वादी के वारिसान को वादी के स्थान पर पक्षकार बनाये जाने हेतु कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश करने की अवधि भी समाप्त हो चुकी है तथा दावा एबेट हो चुका है। वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज होने योग्य है। अतः वादी की मृत्यु होने के कारण दावा एबेट होने के कारण खारिज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र किस धारा या सेक्सन में पेश किया है दर्ज नहीं किया है। मानानीय न्यायालय में कोई आवेदन पेश करते हैं कि वे रेवन्यु रूल्स के तहत या सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत पेश किया जाता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र की धारा 1 स्वीकार है। यह स्वीकार है कि वादी ने दावा घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरूस्त, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रखा है तथा गोपीचन्द का देहान्त दिनांक 25.11.2024 को हो चुका है शेष तथ्य गलत, मनगढत दर्ज होने के कारण अस्वीकार है। सही तथ्य यह है कि वादी के पुत्रगण बाहर नौकरी करते हैं उन्हें वादी के वाद पत्र की जानकारी नहीं थी। वादीपत्र के पक्षकार की मृत्यु पर उसकी जानकारी देने का प्रतिवादीगण के लिए आवश्यक है प्रतिवादी वकील ने दिनांक 19.05.2025 को वादी की मृत्यु की जानकारी न्यायालय को दी। प्रतिवादी वकील सूचना देने के बाद से कानूनन मियाद शुरू होता है। इस पर वादी वकील ने अपने स्तर पर वादी के पुत्रगणों से जरिये फोन संपर्क करने पर उनको उपरोक्त वादपत्र की जानकारी हुई वे तुरन्त आगामी पेशी दिनांक 25.05.2025 पर हाजिर होकर कायममुकाम प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम का अलग से प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है तथा देरी माफ करने का निवेदन किया है। आवेदक का प्रार्थना पत्र कायममुकाम जानकारी से अन्दर मियाद है। वादी का दावा अबेट नहीं हुआ है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं

जबावदेही पूर्ण होने उपरान्त बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि वादी की मृत्यु दिनांक 25.11.2024 को हो चुकी तथा मृत्यु के बाद 90 दिवस की अवधि में कायम मुकाम पेश करना होता है, परन्तु वादी की ओर से दिनांक 25.05.2025 को प्रतिवादी द्वारा वाद खारिज किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद कायम मुकाम पेश किया गया। वादी के वारिसान को वादी के स्थान पर पक्षकार बनाने हेतु कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि भी व्यतीत हो चुकी है। अतः वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज होने योग्य है।

बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने आदेश 22 नियम 3 (2) के तहत जहां विधि द्वारा परिसीमित समय के भीतर कोई आवेदन उपनियम (1) के अधीन नहीं किया जाता है वहां वाद का उपशमन वहां तक हो जाएगा जहां तक मृत वादी का संबंध है और प्रतिवादी के आवेदन पर न्यायालय के उन खर्चों को उसके पक्ष में अधिनिर्णीत कर सकेगा जो उसने वाद की प्रतिरक्षा में उपगत किए हों वे मृत वादी की सम्पदा से वसूल किए जांएगे।

विद्वान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश किये गये न्यायिक दृष्टांत का विवरण निम्नानुसार है :–

2024(1) CIVIL COURT CASES 670 (RAJASTHAN) RAJASTHAN HIGH COURT

MS.REKHA BORANA.J.

S.B. Civil First Appeal No.249 of 2009, D/28.03.2023

Jabbar Singh & Ors. Vs Laxmi Devi & Anr.

Civil Procedure Code, 1908, O.22.Rr.4, 10-A - Substitution of LRs - Limition - Law as to: (1) limitation for substitution of LRs of a deceased plaintiff/defendant commences from the date of death and not from date of knowledge; (2) abatement on non-filing of an application for substitution of LRs within prescribed limitation is automatic and; (3) provision of O.22.R.10-A CPC does not automatically extend period of limitation provided u/arts 120, 121 of Limitation Act.

वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया तथा निम्न नजीरात पेश किये–

I. Rajasthan State Mines and Minerals Limited Vs LR's. of Kishnaram

Civil Procedure Code, 1908 -O. 22,4 & 9 - Application for setting aside of abatement - Delay condoned in filing application - LR's. of the respondent are taken on record - Held, Abatement qua the respondent No. 1 is set aside.

[Citation : 2022(2) DNJ (Raj.) 699]

II. RAJASTHAN HIGH COURT [JAIPUR BENCH]

HON'BLE MR. JUSTICE SUDESH BANSAL

[S.B. Civil Second Appeal No. 159 of 2011 : decided on 17.05.2022]

Babu Lal Mathur & Ors. Vs Jagdamba Prasad & Anr.

Civil Procedure Code, 1908-O. 22, R. 4- Suit filed by the plaintiff/ respondent No. 1 was decreed for permanent injunction- plaintiff died pending appeal on 13.01.2013- Application filed for substitution of LR's -No information of death of respondent brought before the Court -Term sufficient cause deserves to be construed liberally -Held, Delay deserves to be condoned.

[Citation : 2022(2) DNJ (Raj.) 711]

III. RAJASTHAN HIGH COURT [JAIPUR BENCH]

सहायक कलक्टर,
झुन्झुनूं

PRESENT:

HON'BLE MR. JUSTICE SUDESH BANSAL

[S.B. Civil Second Appeal No. 102 of 2012 : decided on 17.05.2022]

Sohani Devi & Ors. Vs Kajod Mal

Civil Precedure Code, 1908-O. 22, R. 10A- Sole respondent died on 15.1.2012- Applicant 'HS' is the son of the deceased and contended that the has been filed against a dead person on 13.2.2012 Appellants filed the application for substitution of LR's.-No report regarding death of respondent on notice and 'HS' filed the vakalatnama on 12.2.2013 but never informed the Court about the death of respondent - No knowledge about the death - Held, Delay is condoned and LR's. be taken on record.

IV. 2014-15(Supp.)RRT 414

BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER

MR. SATYA NARAYAN LATHI : MEMBER

Ganesh (D) thr. L.Rs. Vs Gangaram (D) thr. L.Rs

Revision TA No. 5080/Bundi of 2005 Decided on 1st July, 2015

Code of Civil Procedure, 1908- o.22,4- Rajasthan Tenancy Act, 1955 - Secs. 53&188 - Suit for partition - Death of defedant Application for substitution of legal heirs was dismissed being time bareed & suit abated qua defendant No. 1- Heirs has been deprived from putting their clam-Suit for partition does not abate & cause of action remained alive till partition

V. **AIR 2015 SUPPEME COURT 3573**

(From : Delhi)

T.S. THAKUR AND

Mrs. R. BANUMATHI. JJ.

Civil Appeal No. 6567 of 2015 (arising out of SLP (C) No. 22468 of 2013), D/- 25-08-2015

Banwari Lal (D) By LRs. & another Vs Balbir Singh.

हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा बहस सुनी गई। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर बगौर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों, तथ्यों एवं विधि के दृष्टांतो को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/7/25 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)

सहायक कलक्टर

झुन्झुनूं

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर झुंझुनूं जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—सुप्रिया
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तिम वाद डिक्री

उनवान गोपीचन्द बनाम राजेन्द्र कुमार वगैरह

मुकदमा नम्बर :— राजस्व वाद संख्या 1185/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, सुप्रिया (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर झुंझुनूं बहाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

प्रार्थना पत्र वादपत्र खारिज किये जाने बाबत् में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2025 के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर वाद वादी खारीज किया जाता है।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21.07.2025 को जारी की गई।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	1
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर	
बाबत् इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	3		1

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं